## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

**अपील संख्याः 69/12** **निर्णय दिनांकः 16.05.2019**

1. खुदाबक्स पुत्र नवाब खॉ जाति पंजाबगिर मुसलमान निवासी मौहल्ला पंजाबगिरान, बीकानेर।

—अपीलांट्

**—बनाम—**

1. मौजदीन पुत्र गुलामरसूल जाति पंजाबगिर मुसलमान निवासी मौहल्ला पंजाबगिर तहसील व जिला बीकानेर। (फौत)

1/1. मु. फातमा बेवा मोजदीन जाति पंजाबगिर मुसलमान निवासी मौहल्ला पंजाबगिर तहसील व जिला बीकानेर।

2. मौहम्मद इकबाल पुत्र गुलामरसूल जाति पंजाबगिर मुसलमान निवासी मौहल्ला पंजाबगिर तहसील व जिला बीकानेर।

3. समीम बानो पुत्री गुलामरसूल जाति पंजाबगिर मुसलमान निवासी मौहल्ला पंजाबगिर तहसील व जिला बीकानेर।

4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27—11—2010**
**उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर (शिविर प्रभारी)**

**उपस्थितः—**

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री उमेश ऋषि, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**—निर्णय—**

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर (शिविर प्रभारी) के निर्णय व डिक्री दिनांक 27—11—2010 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा जैरकार रहते हुए व आवंटन निरस्त होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट् को खातेदारी अधिकारी प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27—11—2010 को मृतक गुलाम रसूल को वादगत् भूमि चक 9 जेएमडी के मुरब्बा नम्बर 69/32 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 8 के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। जबकि गुलाम रसूल की मृत्यु दिनांक 21—03—1999 को हो चुकी थी। इस प्रकार मृतक व्यक्ति के नाम खातेदारी देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 9 जेएमडी के मुरब्बा नम्बर 69/32 के किला नम्बर 2 ता 4, 7 ता 8 तादादी 5 बीघा अपीलांट की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि है। उक्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आने से राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि रकबाराज दर्ज की गई, जोकि कालांतर में धारा 13ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमित कर दी गई। इसी दौरान उपरोक्त रकबाराज दिनांक 08—10—1987 को तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा मृतक गुलाम रसूल को आवंटन कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उक्त अपील दिनांक 02—07—1994 को स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 08—10—1987 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

उन्होनें आगे बताया किया उक्त रिमाण्ड प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार रहते हुए भी अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर मृतक व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश रिमाण्ड आदेशों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की श्रेणी में आता है। रेस्पोडेन्ट जोकि रिमाण्ड आदेश में पक्षकार के रूप में मौजूद थे तथा उन्हें रिमाण्ड आदेश की भलीभांति जानकारी भी थी, इसके बावजूद बाले—बाले रूप सें न्यायालय तथा अन्य पक्षकारों को अंधेरें में

रखकर आदेश जैर अपील पारित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। यदि तत्समय वादग्रस्त भूमि के बाबत् मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो स्वमेव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति सामने आ जाती है कि मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त किस पक्षकार है तथा वादग्रस्त भूमि के बाबत् कोई विवाद या स्थगन तो प्रभावी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मात्र आंकड़ें बढ़ाने के उद्वेश्य मात्र से प्रभारी अधिकारी की हैसियत से कैम्प में आदेश पारित करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। जो स्पष्ट रूप से कानून के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि आवंटन अधिकारी द्वारा पूर्व में वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने तथा अन्य किसी प्रकार का कोई विवाद व स्थगन नहीं होन के आधार पर बतौर स्मालपेच आवंटन की गई थी तथा आवंटन पश्चात् से ही वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जहॉ तक अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उसकी खरीदशुदा भूमि है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसके कथनों को कोई बल प्राप्त होता है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। आराजी जैर से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट की यदि कोई भूमि है भी तो वह अन्य मुरब्बा नम्बर में निहित है। उक्त मुरब्बें में अपीलांट की कोई भूमि स्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार हितबद्व पक्षकार है साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है।

प्रकरण में जहॉ तक आदेश जैर अपील का प्रश्न है संबधित तहसीलदार द्वारा शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कालासर को रेस्पोडेन्ट व अन्य कृषकों को किमतन खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने बाबत् प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर शिविर प्रभारी द्वारा तमाम तथ्यों की जॉच किये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के उपरान्त तमाम राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो चुका है। चूंकि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 2014 पेज 249 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक प्रकरण में मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—11—2010 के विरूद्व अपील दिनांक 28—05—2012 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व विवादित भूमि के संबंध में विचाराधीन कार्यवाहियों तथा मौके पर कब्जा काश्त वगैरह की टिप्पणी लिये जाने का कोई सबूत पत्रावली में नहीं है। अपीलाधीन आदेश का जानकारी प्राप्त होने में 4 माह का विलम्ब अप्रत्याशित नहीं है। अतः मियांद अधिनियम की दरख्वाश्त स्वीकार की जाकर विलम्ब का शमन किया गया।

प्रकरण में प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के द्वारा संधारित पत्रावली के अनुसार तहसीलदार, बीकानेर द्वारा दिनांक 27—11—2010 को 8 आवंटी कृषकों को खातेदारी अधिकार देने हेतु प्रस्ताव प्रभारी अधिकारी के समक्ष पेश किये गये। प्रभारी अधिकारी ने उसी पत्र पर मार्क किया कि ''खातेदारी जारी करें''। उसी दिन

उपखण्ड अधिकारी द्वारा गुलाम रसूल के पक्ष में खातेदारी सनद जारी कर दी गई।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02—07—1994 को जारी निर्णय के मुताबिक विवादित भूमि पर अपीलांट खुदाबक्स का नियमन का दावा विचाराधीन होने के बावजूद गुलामरसूल को स्मालपेच के रूप में आवंटित करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर को रिमाण्ड किया गया। उक्त प्रकरण अभी लम्बित है।

प्रशासन गावों के प्रभारी/उपखण्ड अधिकारी के समक्ष यह स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई तथा 23 साल पहले आवंटित हुए स्मालपेच की खातेदारी सनद जारी कर दी गई। उक्त कार्यवाही से उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही निष्प्रभावी हो जाती है। विवादित भूमि के आवंटन या नियमन के विधि सम्मत होने या न होने का निर्णय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन वाद के निर्णय के उपरान्त ही संभव होगा। इस दौरान समानान्तर कार्यवाही के तहत किसी एक के पक्ष में खातेदारी सनद जारी करना किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—11—2010 अपास्त जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 16.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर